प्रतिलिपि आदेश दिनांक 16—05—18 न्यायालयःविशेष न्यायाधीश डकैती गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०) जमानत आवेदन क्रमांक : 168/18

> रामजीत पुत्र मुंशीसिंह जाति राठौर निवासी ग्राम धनेला थाना नूराबाद जिला मुरैना(म.प्र.) — आवेदक बनाम

पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड(म०प्र०)

-- अनावेदक

16.05.18

आवेदक रामजीत द्वारा अधिवक्ता श्री के.पी. राठौर उपस्थित। राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी.एस.बघेल उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद चौराहा से अपराध क्रमांक 48/2017 अंतर्गत धारा 396 भा0दं0सं., 11,13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम की केसडायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदनपत्र के साथ आवेदक के भाई गिर्राज का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा— 439 द.प्र.सं. का है, इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदनपत्र समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है, और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही अभिलेख से स्पष्ट है।

आवेदक / अभियुक्त के जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक का उक्त कथित अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष है। उसे निराधार झूठा फंसाया गया है। आवेदक मजदूर पेशा व्यक्ति है और उसके वृद्ध माता पिता की देखरेख करने वाला अन्य कोई सदस्य नहीं है। आवेदक के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रकरण के निराकरण में विलंब लगने की संभावना है। माननीय न्ययालय की शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल द्वारा मौखिक रूप से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत, केसडायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक—25/04/17 की शाम 6—7 बजे फरियादी संतोष जाटव के पिता रामसनेही घर से खाना खाकर टावर पर ड्यूटी के लिये गए थे, जब वह सुबह लौटकर नहीं आए तो संतोष जाटव ने भिण्ड ग्वालियर

हाईवे रोड सर्वा के पुरा के पास बी.एस.एन.एल. टावर कैंपस पर जाकर देखा तो टावर के गेट का ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। संतोष के पिता रामसनेही की लाश औंधे मुंह पड़ी थी तथा हाथ—पैर पीछे की ओर बंधे थे तथा मुंह व गले में साफी का फंदा पड़ा था, पैर के पंजे, अजू, आखों में चोटों के निशान थे। खाट व दरी में खून लगा था एवं खाट के तीचे खून पड़ा था। संतोष के द्वारा पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पुलिस का गयी। घटनास्थल पर ही देहाती नालिसी लिखी गयी। रामसनेही की हत्या ताला तोड़कर चोरी करते समय रामसनेही के द्वारा विरोध करने पर की गयी।

दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक— 25 एवं 26/04/17 की राम्न में क्टी उर्फ केशव राठौर, रिंकू उर्फ योगेश, भूपेन्द्रसिंह गुर्जर, विजय राठौर, बंटी उर्फ केशव का भाई रामजीत, बेताल कुशवाह तथा दौजी राठौर ने मिलकर ग्रम्भ सर्वा के पुरा के पास मोबाइल के टावर से 24 बैट्रियां डकैती कर ले गये था। टावर पर चौकीदार के द्वारा विरोध करने पर उसे बांधकर मुंह व गले में फंदा लगाकर तथा सिरयों से मारपीट कर हत्या कर बैट्रियां ले गये। केशव उर्फ बंटी राठौर से लोहे की एक रिंच, 05 बैट्रियां एक्साइड कंपनी की, योगेश उर्फ रिंकू से एक 315 बोर का कटटा, 02 जिंदा कारतूस, विजय राठौर से 315 बोर का एक कटटा, 02 जिंदा कारतूस, एक सफारी गाडी काले रंग की किस पर नंबर प्लेट एम.पी.07 बी.ए.— 2062 लिखा है, व 02 बैट्रियां, रिंकू उर्फ भूपे गुर्जर से एक सिरया लोहे का एवं काले रंग की 03 बैट्रियां, रिंकू उर्फ योगेश से 07 काले रंग की बैट्रियां, रामजीत से एक बैट्री ड्राई टावर की, जिस पर एक्साईड लिखा है, जब्त की गयी हैं। इस मामले में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक हथियारों से सुस्क्रित होकर हत्या सिहत डकैती की गयी है।

म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा—5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार धारा–5(2) के तहत विरोध किए जाते पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक रामजीत का प्रथम नियमित जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केसडायूर्व वापस की जावे। प्रकरण चालान/आरोपी की उपस्थिति हेतु पूर्ववत् दिनांक 22.05.18 को पेश हो। सही/—

(एच.के. कौशिक) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड